



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21072022-237424
CG-DL-E-21072022-237424

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 517]
No. 517]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 21, 2022/आषाढ़ 30, 1944
NEW DELHI, THURSDAY, JULY 21, 2022/ASHADHA 30, 1944

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 2022

सा.का.नि. 590(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय खान ब्यूरो (श्रेणी - 3 अलिपकवर्गीय पद) भर्ती नियम, 1965 को, जहां तक उसका संबंध कनिष्ठ तकनीकी सहायक (अयस्क प्रसाधन) के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया हो, खान मंत्रालय, भारतीय खान ब्यूरो में कनिष्ठ तकनीकी सहायक (अयस्क प्रसाधन) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्: -

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खान मंत्रालय, भारतीय खान ब्यूरो, कनिष्ठ तकनीकी सहायक (अयस्क प्रसाधन), समूह 'ख' पद, भर्ती नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर— उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि— उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता — वह व्यक्ति, -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति— जहाँ केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
कनिष्ठ तकनीकी सहायक (अयस्क प्रसाधन)	11* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसूचित।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 6 (35400-112400 रु.)	चयन पद।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।
(6)	(7)
तीस वर्ष से अनधिक की आयु। (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी।	आवश्यक : (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अयस्क प्रसाधन या खनिज प्रसंस्करण या भूविज्ञान या भौतिक विज्ञान या रसायन विज्ञान में मास्टर डिग्री; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से खनिज इंजीनियरी या रासायनिक इंजीनियरी या धातुकर्म विज्ञान में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी डिग्री; (ii) किसी मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला या धातुशोधन संयंत्र से विभिन्न अयस्कों और खनिजों के धातुशोधन के लिए खनिज धातुशोधन या खनिज अभिलक्षणन संचालन में दो वर्ष का अनुभव। टिप्पण 1: अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएँ कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हताएं उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएँ कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों के भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता के माध्यम से।
(8)	(9)	(10)
आयु: लागू नहीं होता। शैक्षिक अर्हता: लागू नहीं होता।	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष। टिप्पण: केंद्रीय सरकार द्वारा यथा विहित परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए कम से कम दो सप्ताह की अवधि का अनिवार्य प्रवेश प्रशिक्षण होगा।	(i) 70% सीधी भर्ती द्वारा। (ii) 30% प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।
(11)
प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 (29200-92300 रुपये) में ऐसे प्रयोगशाला सहायक जिन्होंने नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छः वर्ष की नियमित सेवा की हो और भारतीय खान ब्यूरो या किसी अन्य मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान द्वारा संचालित खनिज प्रसंस्करण के क्षेत्र में चार सप्ताह का सेवा-कालीन प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति: केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के अधीन ऐसे अधिकारी; (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या (ii) जो मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (29200-92300 रुपये) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छः वर्ष की सेवा कर चुके हों; और (ख) जो स्तम्भ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों: टिप्पण-1: पोषक प्रवर्ग में ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण-2: प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण-3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना क्या है।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
1. समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :- 1. अयस्क प्रसाधन अधिकारी, भारतीय खान ब्यूरो- अध्यक्ष; 2. रसायनज्ञ, भारतीय खान ब्यूरो- सदस्य; 3. प्रशासनिक अधिकारी, भारतीय खान ब्यूरो- सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

II. समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-	
1. अयस्क प्रसाधन अधिकारी, भारतीय खान ब्यूरो	- अध्यक्ष;
2. रसायनज्ञ, भारतीय खान ब्यूरो	- सदस्य;
3. प्रशासनिक अधिकारी, भारतीय खान ब्यूरो	- सदस्य।

[फा. सं. 22/4/2011-खान-III-भाग (4)]

संजय लोहिया, अपर सचिव

MINISTRY OF MINES**NOTIFICATION**

New Delhi, the 21st July, 2022

G.S.R. 590(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Indian Bureau of Mines (Class III Non- Ministerial posts) Recruitment Rules, 1965, in so far as it relates to the post of Junior Technical Assistant (Ore-Dressing), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Junior Technical Assistant (Ore Dressing) in Indian Bureau of Mines, Ministry of Mines, namely:—

1. Short title and commencement. — (1) These rules may be called the Ministry of Mines, Indian Bureau of Mines, Junior Technical Assistant (Ore Dressing), Group 'B' Post, Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix.— The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. — No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission and relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. — Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit, and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Junior Technical Assistant (Ore Dressing).	11* (2022) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group, 'B', Non- Gazetted, Non Ministerial.	Level-6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400).	Selection post.

Age- limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(6)	(7)
Not exceeding thirty years of age. (Relaxable for the Government servants upto the age of five years in accordance with instructions or orders issue by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.	Essential: (i) Masters Degree in Ore Dressing or Mineral Processing or Geology or Physics or Chemistry from a recognised University or institute; Or Bachelor of Engineering or Bachelor of Technology degree in Mineral Engineering or Chemical Engineering or Metallurgy from a recognised University or institute. (ii) two years experience in conducting mineral beneficiation or mineral characterisation for beneficiation of various ores and minerals from a recognised laboratory or beneficiation plant. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of selection the Staff Selection Commission or competent authority, is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of the promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)
Age: Not applicable. Educational qualification: Not applicable.	Two years for direct recruitment. Note: There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.	(i) Seventy per cent. by direct recruitment; (ii) thirty per cent. by promotion failing which deputation.

In case of recruitment by promotion or by deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.	
(11)	
Promotion: Laboratory Assistant in level-5 in the pay matrix (Rs.29200-92300) with six years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis and successfully completed four weeks of in-service training in the field of Mineral Processing conducted by Indian Bureau of Mines or any other recognised Training Institute. Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation: Officers under the Central Government or State Governments or Union territories,- (a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with six years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level 5 in the pay matrix (Rs.29200-92300) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7). Note 1: The Departmental officers in the feeder grade who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2: Period of deputation in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of application.	

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
I. Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- 1. Ore Dressing Officer, Indian Bureau Of Mines - Chairman; 2. Chemist, Indian Bureau of Mine -Member; 3. Administrative Officer, Indian Bureau of Mines -Member. II. Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- 1. Ore Dressing Officer, Indian Bureau of Mines - Chairman; 2. Chemist, Indian Bureau of Mines - Member; 3. Administrative Officer, Indian Bureau of Mines -Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. 22/4/2011-M.III-Part (4)]

SANJAY LOHIYA, Addl. Secy.